# न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 04/2015
राज्य वनाम अत्यानन्द सिंह

## आदेश

6.7.16

प्रस्तुत वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के पत्रांक 780–2 गो० सपत्र दिनांक– 08.05.2015 के माध्यम से जप्त 150 (एक सौ पचास) लीटर अधिग्रहण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

प्राप्त प्रस्ताव पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 1581–2 दिनांक– 27.06.2016 द्वारा श्री (1) श्री अत्यानन्द सिंह, पिता– स्व० अशर्फी सिंह, लक्षमिनियॉ, पंचायत– बेलवारा एवं (2) श्री संजय भगत, पिता– श्री श्रवण भगत, ग्राम पंचायत– कठडुमर से सुनवाई की तिथि– 01.07. 2015 निर्धारित करते हुए कारण–पृच्छा की मांग की गई।

कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु पुनः 12.08.2015, 09.09.2015, 02.12.2015, 16.12. 2015, 17.02.2016, 02.03.2016, 09.03.2016, 30.03.2016, 18.05.2016, एवं 25.05.2016 की तिथि व्यतीत हो जाने के बावजूद प्रतिपक्षी द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। अंतिम तिथि– 08.06.2016 निर्धारित की गई। प्रतिपक्षी अनुपस्थित। तामिला प्रतिवेदन जो इन्द्रमणि सिंह वास्ते अत्यानन्द सिंह का प्राप्त, परन्तु प्रत्युत्तर अप्राप्त। श्री संजय भगत के निर्गत नोटिस के पार पृष्ट पर – " महाशय दिनांक– 06.07.15 को सकुशल पर पहूँच कर संजय भगत को तलास किया मुलाकात नहीं हुआ। परिवार के लोग नोटिस लेने से इनकार किया। राकेश कुमार रंजन 06.07.2015 " अंकित हैं।

विशेष लोक अभियोजक का कहना था दिनांक– 24.12.2014 को ओ0पी0 अध्यक्ष कनरिया के द्वारा पकड़े गये लगभग तीन गैलन किरासन तेल जो 150 लीटर में है एवं पकड़े गये अभियुक्त के आधार पर डीलर श्री अत्यानन्द सिंह के द्वारा कालाबाजारी के नियत से जन वितरण प्रणाली का तेल बेचा गया।

चूँकि प्रतिपक्षी के विरूद्ध बख्तियारपुर थाना में प्राथमिकी संख्या– 415/14 दिनांक– 25.12.2014 दर्ज किया जा चुका है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है एवं जप्त किरासन तेल बर्बाद होने की संभावना को देखते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को निदेशित किया जाता हैं कि जप्त किरासन तेल सरकारी नियमानुसार उचित मूल्य पर बिक्री करवाकर राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवा दें।

6.7.16

आवेदक (राज्य) की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। वर्णित स्थिति में जप्त तीन गैलन किरासन तेल जो 150 (एक सौ पचास) लीटर किरासन तेल को अधिग्रहित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को निदेशित किया जाता है कि जप्त किरासन तेल जो श्री पप्पू कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या– 01/13 के जिम्मेनामा पर रखा गया है जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से बिक्री करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत अविलम्ब जमा करवाना सुनिश्चित करें।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

6.7.16

समाहर्त्ता,
सहरसा।

6.7.16

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1337-2/ विधि, सहरसा, दिनांक– 30 वीं ~~अगस्त~~ जुलाई 2016 ई. ।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
30/7/16